

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-II में प्रकाशनार्थ)

संख्या 13017/14/2009-अ.भा.से.(1)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 3 मई, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के परामर्श से केन्द्र सरकार सुश्री शीतल वर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 07) से विवाह हो जाने के आधार पर डॉ० आदर्श सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मणिपुर-त्रिपुरा : 07) का मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरण एतद्वारा इस निदेश के साथ करती है कि राज्य सरकार उस अधिकारी को अपनी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, लेकिन सितम्बर, 2011 तक कार्यमुक्त कर दें।


(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)